कार्यालय अध्यक्ष/प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय विकास समिति किशनगढ़ (अजमेर)

क्रमांक :– 831 दिनांक :– 02.05.2023

निविदा सूचना संख्या 02/2023–24

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कार्यालय अध्यक्ष/प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय विकास समिति, किशनगढ में 31 मार्च 2024 तक के लिए मानव संसाधन (पुस्तकालयकर्मी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला संवाहक, च0 श्रे0 कर्मचारी, चौकीदार आदि) की सेवाऐं उपलब्ध करवाने हेतु विनिर्दिष्ट पंजीकृत बोलीदाता/संवेदक जो कि राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, जी एस टी आयकर, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, से खुली निविदायें आमंत्रित की जाती है।विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति राशि (रू.)	बोली प्रपत्र शुल्क राशि (रू.)	निविदा विक्रय करने की अन्तिम दिनांक व समय	निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक व समय	निविदा (तकनीकी) खोलने की दिनांक व समय
1	मानव संसाधन (पुस्तकालय कर्मी कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला संवाहक, च0 श्रे0 कर्मचारी, सफाईकर्मी, चौकीदार, हेतु।	15.00 लाख	20,000	500	दिनांक 11.05.23 सायं 05.00 बजे तक	दिनांक 12.05.2023 दोपहर 03.00 बजे तक	दिनांक 13.05.2023 प्रातः 11.00 बजे

1. निविदा प्रपत्र 500/– रूपये नगद भुगतान कर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा महाविद्यालय के बेव पोर्टल https://hte.rajasthan.gov.in/college/gckishangarh पर भी देखा व डाउनलोड किया जा सकता है जिसके साथ 500/– रूपये का बैंकर चेक/डी.डी. संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. निविदा प्रपत्र एवं प्रतिभूति राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक **अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय विकास समिति, किशनगढ़** के पक्ष में किशनगढ़ में देय बनाना होगा। जिसे तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिनांक 12.05.2023 को दोपहर 3:00 बजे तक जमा कराना होगा।
3. निविदायें तकनीकी निविदा प्रपत्र तथा वित्तिय बोली प्रपत्र अलग–अलग लिफाफे में बन्द कर दोनो लिफाफे पर नामांकन (तकनीकी निविदा प्रपत्र या वितीय निविदा प्रपत्र) कर एक बडे लिफाफे में बन्द कर प्रस्तुत की जायेगी। जिन फर्मों की तकनीकि एवं वाणिज्यिक निविदा अलग–अलग लिफाफों में प्रेषित नहीं की जायेगी उनकी निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।
4. तकनीकी – वाणिज्यक/ क्वालिफाईड बिड दिनांक 13.05.2023 को प्रातः 11.00 बजे राजकीय महाविद्यालय किशनगढ में उपस्थित बोली दाता/संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी व तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता की वितीय बोली उसी तिथि को तुरन्त पश्चात् खोली जायेगी।
5. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपायन समिति का अधिकार पूर्णरूपेण सुरक्षित है।

प्राचार्य/अध्यक्ष
महाविद्यालय विकास समिति
राजकीय महाविद्यालय किशनगढ

क्रमांक :– 832–836 दिनांक :– 02.05.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान आयुक्त महोदय, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ, कार्यालय नोटिस बोर्ड
3. नगर परिषद, किशनगढ कार्यालय नोटिस बोर्ड
4. सहायक श्रम आयुक्त, अजमेर
5. कार्यालय हाजा नोटिस बोर्ड

प्राचार्य/अध्यक्ष
महाविद्यालय विकास समिति
राजकीय महाविद्यालय किशनगढ

कार्यालय अध्यक्ष/प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय विकास समिति किशनगढ़ (अजमेर)

निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड)

(निविदा सूचना संख्या 02/2023–24 दिनांक 02.05.2023)

मानव संसाधन सेवाएं हेतु निविदा

क्र.सं.	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरा जावे
1.	1. बोलीदाता फर्म का पूरा नाम एवं पता (पंजीयन प्रमाण पत्रानुसार)	
	2. फोन नंबर **STD Code** सहित	
	3. ई मेल आई डी	
	4.अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पद **(Authorised signatory)** (अधिकृति पत्रसंलग्न करावें)	
	5. मोबाईल नम्बर	
2.	बोली किससे संबंधित है	अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय विकास समिति, किशनगढ़
3.	बोली का सन्दर्भ	निविदा संख्या 02/2023 क्रमांक– 831–836 दिनांक 02.05.2023
4	निविदा प्रपत्र शुल्क जमा का विवरण	रूपये 500/– डी0डी0/बैंकर्स चैक/नगद रसीद नं. ..... दिनांक .....
5	प्रतिभूति राशि का विवरण	रूपये 20000/– डी0डी0/बैंकर्स चैक नं. ..... दिनांक .....

6 बोलीदाता या संवेदक के द्वारा निम्नलिखित आवश्यक पंजीकरण दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाये।

क्र0 सं0	विवरण	रजि0 सं0	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रामिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4.	GST (वस्तु एवं सेवा कर)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

7	बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 2 वितीय वर्ष (2021–22 व 2022–23) में केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत संस्थाएं/परियोजनाए/बोर्ड/समिति/आयोग/राजकीय शिक्षण संस्था/मानव संसाधन प्रशिक्षित कार्मिक सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र आवश्यक है। कार्य आदेश की प्रति मान्य नही होगी जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगाना होगा–

	क्र0 सं0	विभाग/संस्था का नाम	उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन	समयावधि	संबंधित विभाग/संस्थान से जारी संतोषकजनक सेवा अनुभव प्रमाण पत्र का अंकन एवं प्रति संलग्न	
	1.					
	2.					
	3.					
8	अन्तिम एवं नवीनतम आयकर रिटर्न की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करें।					
9	अन्तिम एवं नवीनतम **GST** रिटर्न की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करें।					

10	फर्म के बैंक खाते का विवरण 1. बैक का नाम 2. ब्रांच का नाम 3. खाता संख्या 4. **IFSC** कोड (निरस्त चैक की प्रति संलग्न करे)	
11	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत वित विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 दि. 04.02.13 के अनुसार **Annexure –A,B,C,D** भी बोली एवं अनुबंध का भाग है अतः **Annexure –A,B,C,D** बिडदाता द्वारा हस्ताक्षरित संलग्न करें	
12	क्या फर्म को कभी केन्द्र या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग/संस्था द्वारा काली सूची **(Black Listed)** में दर्ज किया गया है? यदि हॉ तो विवरण देवे और यदि नहीं तो **Annexure –E** में रु.50 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा करें।	
13	प्राईज फाल क्लोज के अन्तर्गत बिडदाता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा संलग्न करें **Annexure – F**	
14	बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 2 वितीय वर्ष (2020–21 व 2021–22) में से किसी एक वितीय वर्ष में न्यूनतम टर्नऑवर 25 लाख रू. होना चाहिए। जिसके समर्थन में चार्टेड अकाउन्टेट द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावें। प्रपत्र का प्रारूप संलग्न है। **Annexure – G**	
15	संलग्न **Annexure –H** हस्ताक्षरित	
16	संलग्न **Annexure –I** हस्ताक्षरित (50/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर)	

बोली दस्तावेजों में परिवर्तन :–बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय सीमा से पूर्व किसी भी समय उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणाम स्वरूप धारा 23 के उपबन्धों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपान्तरित कर सकेगी।

NOTE:-

1. यदि निविदा प्रपत्र https://hte.rajasthan.gov.in/college/gckishangarh से डाउनलोड किया गया है तो निविदा फॉर्म फीस रूपये 500/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भी निविदा पत्र के तकनीकी बिड के साथ जमा कराना आवश्यक है।

2. मैं/हम राजकीय महाविद्यालय किशनगढ द्वारा जारी की गई निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांकः 831–836 दिनांक 02.05.2023 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजो में दी गई उक्त निविदा सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

3. निविदा के साथ समस्त अनुलग्नक हस्ताक्षरित कर संलग्न कर दिये गये है।

4. मैं/हम सहमति देते है कि निर्धारित समय अवधि के दौरान कार्मिक के स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने/लोकडाउन लागु होने /कार्मिक द्वारा सन्तोषप्रद कार्य नहीं करने पर उक्त दिवसों का फर्म को भुगतान नहीं किया जाऐगा।

5. मैं/हम सहमति देते है कि कार्मिकों के उपलब्ध कराते समय कार्मिकों के दस्तावेज स्क्रीनिंग कमेटी के जांच करने पर सही पाये जाने पर ही कार्मिकों को कार्य पर नियोजित किया जायेगा अन्यथा नया कार्मिक फर्म के द्वारा मय दस्तावेज अगले कार्य दिवस को उपलब्ध करवाना होगा।

6. मैं/हम सहमति देते है कि सफल बोलीदाता को कार्यादेश दिये जाने के तीन दिवस में कार्मिकों की आपूर्ति नहीं करने पर निविदा से अयोग्य समझते हुऐ जमानत राशि जब्त कर उसी निविदा में अगले वरीयता क्रमांक की फर्म को मौका दिया जाएगा।

7. मैं/हम यह घोषणा करते है कि मैंने/हमने वित्तीय बिड में सेवा शुल्क की दरें पूर्ण रूपयों में अंकित करी है, वित्तीय बिड खोले जाने पर यदि ये दरें पैसों में अथवा ऋणात्मक में पाई जाती है तो मेरी/हमारी निविदा निरस्त की जा सकती है तथा तुलनात्मक रूप से कम दर होने पर भी मैं/हम किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत नही करेंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

Annexure-H

कार्यालय अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय विकास समिति, किशनगढ मानव संसाधन उपापन

निविदा पत्र की मुख्य शर्तेः– निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदा प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए तथा शर्तों की स्वीकारोक्ति के रूप में शर्तों के प्रपत्र में अपने हस्ताक्षर करने है।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार तकनीकी व वितीय बोली उचित रूप से पृथक –2 मोहर बंद लिफाफे में करना होगा। प्रथम लिफाफे पर "तकनीकी बिड मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु" तथा द्वितीय लिफाफे पर "वित्तीय बिड मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु" लिखा जाना होगा।
2. बिन्दू संख्या दो में अंकित दोनो लिफाफो को एक बड़े सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना है। लिफाफे पर "मानव संसाधन आपूर्ति हेतु निविदा" अंकित होगा एवं नीचे बांयी तरफ फर्म का नाम अंकित किया जावे।
3. निविदाकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये विभिन्न श्रेणी के मानव संसाधन उस पद के न्यूनतम योग्यताधारी होंगे जिस श्रेणी का कार्य करने हेतु निविदा में विज्ञापित किये है एवं उन्हे नियोजित किया जाता है। नियुक्त किये जाने वाले कार्मिकों की शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्रमाण – पत्र कार्यालय में प्रथम समय उपस्थिति दिनांक के पूर्व प्रस्तुत करने होंगे। कार्मिक बदले जाने की दशा में उसी योग्यता का अन्य कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा एवं उसकी भी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्रमाण–पत्र तत्समय प्रस्तुत करने होंगे। तकनीकी पदों के लिए उस पद की विशेष तकनीकी योग्यता निम्नानुसार होना आवश्यक हैः–

   कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु अनिवार्य योग्यता –
   - किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा उच्चतर डिग्री प्राप्त
   - किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम RSCIT अथवा उच्चतर डिप्लोमा/डिग्री धारी
   - हिन्दी व अंग्रेजी कम्प्यूटर टाइपिंग में दक्ष होना चाहिए।

   पुस्तकालय कर्मी हेतु अनिवार्य योग्यता –
   - किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा उच्चतर डिग्री प्राप्त
   - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम B.Lib./M.Lib. डिग्री प्राप्त
   - किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम RSCIT
4. निविदा में दर्शाई गई दरों में किसी प्रकार की कांट–छांट न की जावें। यदि कोई त्रुटि हो तो स्पष्ट रूप से अंकित कर अपने लघु हस्ताक्षर करें।
5. राजस्थान लोक उपनाम में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।
6. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित/बोलीदाता का होगा।
7. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संपूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
8. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से चैक द्वारा इस कार्यालय में उपस्थित होकर किया जायेगा। भुगतान राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
9. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
10. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृध्दि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
11. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार के नवीनतम दरों के अनुसार समस्त श्रमिको का नियमानुसार EPF, ESI जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिक की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के EPF और ESI के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि से संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
12. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार EPF और ESI की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
13. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करावाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा करा (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
14. श्रम विधि के अर्न्तगत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसुचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों आदि की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अर्न्तगत निर्धारित

नियमों, उपनियमों व अधिसुचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

15. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिए विकास समिति, राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ के सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
16. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटानें, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन छटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
17. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध मे / संदर्भ में कोई घटना/दूर्घटना होने पर किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई0एस0आई0 करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिए इस समिति की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
18. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।
19. यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विशिष्टि प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि का न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को दिया जायेगा। उक्तनुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का)अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता को होगा।
20. मानव संसाधन आवश्यकतानुसार उपापन करने पर संख्या में कमी/वृद्वि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकार का आधार नहीं होगा। कार्मिकों की संख्या वृध्दि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर निर्धारित योग्यतानुसार मानव संसाधन कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।
21. तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल बोली दाताओं/संवेदकों से दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति में क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में मानव संसाधन उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
22. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता करता/कम करता है तो उस दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
23. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर एक मास से अधिक कालावधि के लिए बढाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन मानव संसाधन योग्यतानुसार कार्मिक उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बजार कीमतें इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।
24. बोली की विधि मान्यता वित्तिय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
25. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सोंपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
26. जिस बोली दाता की बोली स्वीकार की जायेगी। वह कार्यादेश जारी होने पर निर्धारित तिथि कों निर्धारित योग्यता के आवश्यकतानुसार मानव संसाधन विभिन्न श्रेणी के प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।
27. मूल्यांकन की कसौटी–तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाईड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तिय बोली/क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जायेगा।
28. बोलियों का अपवर्जन :– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
29. बोली प्रतिभूति राशि अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय, विकास समिति, किशनगढ के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो किशनगढ शाखा में देय हो के रूप में जमा करायी जावेगी। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभुति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूती बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी।
30. अनुबंध अवधि को आपसी सहमति से आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
31. निविदादाताओं द्वारा सेवा शुल्क की राशि एक रूपये के पूर्ण गुणक के रूप में ही भरी जावेगी। यह शून्य या ऋणात्मक या दशमलव में नहीं भरी जावेगी, ऐसी निविदा को बिना विचार किये निरस्त कर दिया जावेगा।
32. अंकित प्रमाण पत्रों की प्रतियां /अनुभव प्रमाण पत्र एवं बेलेन्स शीट के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज जैसे कार्यादेश की प्रतियां आदि संलग्न नही की जावें। इस समिति द्वारा चाहे गये दस्तावेजो के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नही किये जावें।
33. फर्म को कभी केन्द्र या किसी राज्य सरकार के विभाग/संस्था द्वारा काली सूची **(Black Listed)** में दर्ज किया गया है? यदि हॉ तो विवरण देवे और यदि नहीं तो **Annexure –E** में रु.50 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा करें।
34. चयन कमेटी द्वारा न्यूनतम दर वाली निविदा का चयन किया जावेगा। दो या अधिक फर्मों की न्यूनतम निविदा दर समान प्राप्त होने पर पूर्व के कार्य अनुभव के आधार पर चयन किया जा सकता है महाविद्यालय में पूर्व में संतोषजनक कार्य करने वाली फर्म को वरीयता दी जावेगी अथवा जरूरत होने पर लॉटरी सिस्टम भी अपनाया जा सकता है, परन्तु अन्तिम निर्णय चयन कमेटी का होगा। निविदा या निविदा के किसी भाग को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार चयन कमेटी के पास सुरक्षित होगा।
35. निविदा सूचना में अंकित पदों की संख्या अनुमानित हैं, उनमें आवश्यकता अनुसार कमी/ वृद्वि की जा सकेगी।

36. **वित्तीय निविदा में दरें प्रति व्यक्ति/प्रति माह ही अंकित की जावें । अन्य प्रकार से दरें अंकित करने पर उस फर्म की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।**
37. किसी भी संस्था की निविदा को आंशिक /पूर्णरूपेण स्वीकार/अस्वीकार किये जाने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षकर्ता को होगा, चाहे उसकी दर न्यूनतम ही क्यों न हो।
38. <u>बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security)</u>
बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगाः–
    - जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव का वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
    - जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
    - जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभुति जमा नहीं कराता है।
    - जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में निर्धारित योग्यता के आवश्यकतानुसार मानव संसाधन कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।
    - यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय –6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वाले के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
39. **<u>करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभुतिः–</u>**
    - ❖ बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक किशनगढ शाखा में देय हो अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय, विकास समिति, किशनगढ के नाम पर जामा करानी होगी एवं 500/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अन्तर्गत करार पत्र निष्पादन करना होगा।
    - ❖ सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभुति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि देता है।
    - ❖ कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
40. **<u>कार्य का सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forefeiture of work performance Security Deposit)</u>**:-
कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।
    - ➢ जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
    - ➢ जब बोली दाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
    - ➢ जब बोली दाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभुति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
41. **भुगतानः**– सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल का भुगतान हेतु आगामी माह में संस्था से उपस्थिति पत्रक प्राप्त होने के 02 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर कार्मिको के भुगतान में होने वाले विलम्ब से होने वाली किसी भी कार्यवाही के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
42. **परिनिर्धारित क्षति** ; (Liquidate Damages) परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृध्दि करने में मामले वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है :–
    (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए – 2.5 प्रतिशत
    (ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक– 5 प्रतिशत किन्तु विहित अवधि की आधी से अनधिक के लिए।
    (ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु – 7.5 प्रतिशत।
    (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए – 10 प्रतिशत।
    (ङ) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।
    (च) यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पुरी करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारिख के बाद करेगा।
    (छ) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्वि पर निर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।
43. बोली के निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या / सन्देह हो तो अध्यक्ष / सचिव, विकास समिति से सम्पर्क किया जा सकता है।
44. भुगतान पर नियमानुसार करों की स्त्रोत पर कटौती की जावेगी।
45. किसी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय, विकास समिति, किशनगढ का निर्णय अंतिम होगा व संवेदक को मान्य होगा।
46. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र किशनगढ होगा।
47. **न्यूनतम मजदूरी दर से कम का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जावेगा ।**

48. **कार्य को करते समय यदि किसी कर्मचारी** की मृत्यु हो जाती है या कार्मिक किसी भी रूप से अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके लिए मुआवजा आदि देने का भार बोलीदाता द्वारा ही वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नहीं होगा।
49. निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि को यदि सार्वजनिक अवकाश होता है तो उक्त कार्य आगामी कार्य दिवस में संपादित होगा।
50. निविदाओं में प्राप्त दरें स्वीकृति की नवीन टेण्डर होने तक या कार्य संतोषप्रद होने तक या कोई अन्य आदेश जो भी पूर्व में हो, मान्य होगी।
51. सफल निविदादाता को निविदा राशि की 05 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। निर्धारित राशि के स्टाम्प पर अनुबंध सम्पादित करना होगा। सफल निविदादाता को कार्यादेश अनुसार निर्धारित दिनांक से कार्य प्रारम्भ करना होगा। अन्यथा जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर कार्यादेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा द्वितीय सफल बोलीदाता को अवसर प्रदान किया जावेगा । वह भी यदि कार्य में असफल रहता है तो उसकी भी अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। द्वितीय सफल निविदा दाता की अमानत राशि भी कार्य प्रारम्भ होने के बाद ही लौटायी जावेगी। कार्मिकों को देय पारिश्रमिक का भुगतान इस महाविद्यालय द्वारा सफल बोलीदाता को चैक जारी किये जाने की दिनांक से दो कार्यदिवस में महाविद्यालय में उपस्थित होकर चैक द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
52. राज्य सरकार द्वारा इस बाबत कोई केन्द्रीयकृत निर्णय लिया जाता है तो उसके अनुरूप कार्यवाही की जायेगी एवं ठेका निरस्त किया जा सकेगा

अध्यक्ष

उपरोक्त शर्ते हमें स्वीकार है।
बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Annexure A : Compliance with the code to Integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bride reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchanged for an unfair advantage in procurement process oi to otherwise influence the procurement process.

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.

(c) Not indulge any collusion. Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency. Fairness had progress of the procurement process:

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process:

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same. Directly or indirectly. To any party or to its property to influence the procurement process.

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process:

(g) Disclose conflict of interest if any and

(h) Disclose any previous transgressions with any other procuring entity.

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must no have a Conflict of interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities. Contractual onblgations. Or compliance with applicable laws and regulations.

1) A Bidder may be considerd to be in confilict of interest with one or more parties in a bidding process if. Including but not limited to:

   a) Have controlling partners/shareholders in common; or

   b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them: or

   c) Have the same legal representative for purpose of the Bid: or

   d) Have a relationship with each other, directly or through common third parties that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the Bidding process: or

   e) The Bidder participates in more than on bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the Bidder is involved. However, this does no limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid: or

   f) The Bidder or any on its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or

   g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by The Bidder

In relation to my/our Bid submit to ……. For procurement of ……..... in response to their notice inviting Bids No- 01/2022-23 Date18-06-2022 .I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act. 2012 that.

1. I/We posses the necessary professional technical financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the state Government or any local authority's specified in the Bidding Document.
3. I/We are not insolvent in receivership bankrupt or being wound up not have My/Our affairs administered by a court or a judicial officer. Not have my our business activities suspended and not the subject of legal proceding for any of the foregoing reasons:
4. I/We do not have and our directors and officer's not have been convivted of my criminal offence releted to My/ Our professional conduct or the making of false statements of misrepresentators as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act. Rule and the Bidding Document which materially affects fair competition:

Annexure C : Grievance Redressal During Procurement Process

The designation and address of the first Appllate Authority is

Commisioner college education department jaipur(Rajasthan)

The designation and address of the Second Appellate Authority is

Secratery Higher Education Rajasthan Jaipur (Raj.)

(1) Filing appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or The guidelines issued thereunder. He may file an appeal to First Appellate authority. As specifie in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action. Omission as the case may be. Clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided than after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has partifipated in procurement proceddings.

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the technical Bids may be fire only by a Bidder whose technical Bid is sfound to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is field under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal field within the period specified in para (2) or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity as the case may be, may lile a decond appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first Appellate Authority as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie aginst any decision of the procuring Entity relating to the following matters namely –

(a) Determination of need of procurement.

(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid Process.

(c) The decision whither or not to enter into negotiations.

(d) Cancellation of a procurement process.

(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against if any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority second appealate authority as the case may be in process or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filling appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand. Which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand darft of banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The first appellate Authourity or Second Appellate Authority, as the case may be upon filling of appeal shall ussue notice accompanied by copy of appeal. Affidavit and document if any to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing. The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be shall.

(i) hear all the parties to appeal present before him and.

(ii) peruse or inspect document relevant records or copies tereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of realiting to the matter, the Appeallate Authority concerned ahall pass an order in writing and provide the copu or order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause I above shall also be placed on the state-public procurement Portal.

Form No. 1

[See Rule – 83]

Memorandum of Appeal under the RajasthanTransparencey in public Procurement

Act.-2012

Appeal No. …………..Of ……………………………..
Before the ……………………………(First/Second Appeallate Authority)

1.Particulars of appeallant :

(i) Name of the appeallant

(ii) Official address, if any :

(iii) Residential address :

2.Name and address of the respondent (s) :

(i)

(ii)

(iii)

3.Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy). Or a the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appeallant is aggrieved.

4.If the Appellant proposes to be represented by a representative. The name and postal address or the representative:

5.Number of affidavits and document enclosed with the appeal:

6.Ground of appeal:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… .(Supported by an affidavit)

7.Prayer

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………….

Place………………….

Date ………………….

Appellant's Signature

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1.Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive. the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bid on the following basis:

i if there is a discrepancy between the unit price and the the total price that is obtained by multiplying the unite price and quantity. The unite price shall prevail and the total price shall be corrected unless in the opnion of the procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price. In which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

ii If there is an error in a tota corresponding to the addition or subtraction of subtotals. The subtotals shall prevail and the total shall be corrected and

iii If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail anlees the amount expressed in words is related to an arithmetic error. In which case amount in figures shall prevail subject (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not acepet the correction of errors its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2.Procuring Entity's Right to very Quantities

(i) At the time of award of contract. The quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased of decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty precent of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances. The Bidder shall not be entity for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.

(iii) In case procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order however. The additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply, If the supplier to do so. The procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities more than one Bidder at te time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose bid is acceptee, to to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such case the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair,transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepeted.

Annexure-E

ब्लेक लिस्ट/अयोग्य न होने का प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमारी फर्म को केन्द्र या राज्य सरकार के किसी भी राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/निगम/बोर्ड आदि के द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु ब्लेक लिस्ट/अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपृहत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

Annexure-F

–ः निविदादाताओं द्वारा घोषणाः–

(प्राईज फॉल क्लोज के अन्तर्गत)

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मानव संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए की जा रही दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर मानव संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए उसकी कीमत कोट करते/कम करते है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी । दर संविदा के संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29 की पालना की सहमती प्रदान करते है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपृहत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

Annexure - G

CERTIFICATE OF ANNUAL TURNOVER

It is certify that the annual turnover of M/s……

……..

Address ……..

……..

…….for the last two financial year in **supply of Human Resources was :-**

Sr.No.	Financial Year	Annual Turn Over in same contract (Rs. In Lakh)	Remark
1	2021-22		
2	2022-23		

Date:-

Signature of the Auditor

WithSeal

Charted Accountant

Place

(Name & Address)

Tel. No. :-

Mob. No. :-

Annexure - J

कार्यालय अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय विकास समिति किशनगढ
वित्तीय बिड बाबत मानव संसाधन
बोली सूचना संख्या –01/2023–24

Name of work : मानव संसाधन सेवाओं की आपूर्ति :–
बोली दाता का नाम व पता :–

क्र0 सं0	कार्य की प्रकृति/पद	श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में देय निर्धारित न्युनतम मजदूरी (प्रति व्यक्ति प्रति माह)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत (प्रति व्यक्ति दर प्रति माह)	EPF दर प्रतिशत नियमानुसार	ESI दर प्रतिशत नियमानुसार	सेवा प्रदाता की सर्विस चार्ज राशि (प्रति प्रतिमाह प्रति व्यक्ति रू.)	कुल राशि (अंको व शब्दों में) कॉलम 4+7 का योग (प्रति व्यक्ति प्रति माह)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पुस्तकालय कर्मी	8658		नियमानुसार	नियमानुसार		
2	प्रयोगशाला सहायक	7358		नियमानुसार	नियमानुसार		
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर	8658		नियमानुसार	नियमानुसार		
4.	प्रयोगशाला संवाहक	6734		नियमानुसार	नियमानुसार		
5.	चौकीदार	6734		नियमानुसार	नियमानुसार		
6.	चतुर्थ श्रेणी	6734		नियमानुसार	नियमानुसार		

नोटः- ईपीएफ एवं ईएसआई दर समय–समय पर सरकार द्वारा संशोधन के अधीन रहेगी।

उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 3, 5 व 6 की पूर्तियां संबंधित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 4, 7 एवं 8 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जा सकेगी।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Annexure – I

Affidavit regarding compliance to Terms & Condition of Tender

(on rupees 50/- non-judicial stamp)

BIDDER NAME……..

I/We confirm that I/We are authorized to submit tender on behalf of the firm participating in the tender and have persued the entire Bid/Tender document including all its amendments till date.

Having persued the subject tender with all amendments (wherever applicable) I/We hereby confirm unconditional acceptance and compliance to abide by all its terms & conditions as mentioned in Bid/Tender document including technical particulars. Detailed technical specifications of the product. Special Terms & Conditions and General Terms & Conditons wherever indicated. Offer validity. Terms of delivery without any deviations whatsoever.

I/We also confirm acceptance of the all general Terms & conditions of tender document and sign on every page of the tender document and enclose.

I/We certify that the prices quoted against the tender are competitive and without adopting any unfair/unethical means in including cartization.

I/We certified that tendring firm has not been banned by any government Department of the state/PSU from business dealings.

I/We also certified that the information given above is factually correct. True and nothing material has been concealed.

Name of the Bidder with Seal

कार्यादेश जारी होने पर बोली दाता द्वारा निम्नानुसार समय–समय पर विवरण प्रस्तुत करना होगा।

मानव संसाधन का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	नाम	योग्यता	EPF No.	ESI No.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

हस्ताक्षार
बोलीदाता